न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–43 / 2023 दायर दिनांकः 16.2.2023
GCMS NO:- 2023/84 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कन्या पुत्री भवाना जाति चमार नि0 जजावर।
2. सुगना पुत्री भवाना जाति चमार नि0 जजावर।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ।
2. कॉपरेशन बैंक शाखा बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 136 एलआर एक्ट

उपस्थिति–
प्रार्थी की ओर से वकील श्री रमेश कुमार सिन्धव।

निर्णय दिनांक 27.05.2025

:–निर्णय–:

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जजावर तहसील नैनवां मे खाता संख्या 26 की खसरा नम्बर 3959 / 72 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसको प्रार्थीगण अपने हिस्सेनुसार वर्षो से कृषि काश्त करते हुए चले आ रहे है जिसमे दोनों प्रार्थीगणों का हिस्सा 1 / 2 स्थित है।

यह कि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति बैरवॉ है परन्तु हल्का पटवारी द्वारा जब फोती नामान्तरकरण खोला तब जमाबन्दी मे बैरवॉ की जगह जाति का नाम चमार लिख दिया एवं गांव मे चमार जाति का कोई नही रहता अपितु बैरवॉ जाति के प्रार्थीगण ही निवास करते है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पहचान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि मे तथा ग्राम छाबडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली मे खातेदारान भूमि प्रार्थीण के जाति बैरवॉ ही लिखा हुआ है ना कि चमार लिखी हुई है। जमाबन्दी मे चमार जाति लिखे होने से प्रार्थीगणों को दैनिक कार्यो मे भारी परेशानी का सामना करना पडता है। प्रार्थीगणों ने कई मर्तबा जाति संशोधन हेतु लिखित व मौखिक मे निवेदन किया गया लेकिन न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह दी। यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का करण है। प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र छाबडियों का नयागांव की जमाबंन्दी, राशन कार्ड की जमाबन्दी, जाति प्रमाण पत्र आदि की प्रति पेश कर जाति चमार के स्थान पर बैरवॉ दर्ज किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट के तहत् पेश किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवां द्वारा पत्रांक :– 2002 दिनांक– 07.5.2025 द्वारा रिपोर्ट पेश की गयी जिसमे बताया कि मुताबिक दस्तावेज प्रार्थीगण की जाति चमार के स्थान पर सम्मानजनक बैरवॉ किया जाना उचित होगा।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की वास्तविक जाति बैरवॉ है परन्तु हल्का पटवारी द्वारा जब फोती नामान्तरकरण खोला तब जमाबन्दी मे बैरवॉ की जगह जाति का नाम चमार लिख दिया एवं गांव मे चमार जाति का कोई नही रहता अपितु बैरवॉ जाति के प्रार्थीगण ही निवास करते है। प्रार्थीगण के आधार कार्ड, पहचान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि मे तथा ग्राम छावडियों का नयागांव तहसील हिण्डोली मे खातेदारान भूमि प्रार्थीण के जाति बैरवॉ ही लिखा हुआ है ना कि चमार लिखी हुई है अतः जमाबन्दी मे प्रार्थीगण की जाति चमार के स्थान पर बैरवॉ दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना

हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राशन कार्ड, ग्राम छाबडिया का नयागांव मे प्रार्थीगण के नाम की जमाबन्दी की प्रति, जाति प्रमाण पत्र की प्रति मे प्रार्थीगण की जाति बैरवॉ ही अंकित है तथा तहसीलदार नैनवॉ द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाकर जमाबन्दी मे चमार जाति के स्थान पर सम्मानजनक शब्द बैरवॉ की जाने की अभिशंषा की है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम जजावर तहसील नैनवां मे खाता संख्या 26 की खसरा नम्बर 3959/72 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि में दर्ज प्रार्थीगण की जाति ''चमार'' के स्थान पर ''बैरवॉ' शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार नैनवां को तहर्रीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 27.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां